

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 मार्च 2016—फाल्गुन 19, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2016

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं  
ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.5	ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण	कलेक्टर, नगर निगम वाले जिलों के लिए	60 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	विकास आयुक्त
		अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नगर निगम को छोड़कर अपने क्षेत्राधिकार में.	60 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस.	विकास आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.6	ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर लायसेंस का नवीनीकरण	कलेक्टर, नगर निगम वाले जिलों के लिए	60 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	विकास आयुक्त
		अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नगर निगम को छोड़कर अपने क्षेत्राधिकार में.	60 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	विकास आयुक्त
16.7	ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी विकास के लिए अनुज्ञा	कलेक्टर, नगर निगम वाले जिलों के लिए	60 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	विकास आयुक्त
		अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नगर निगम को छोड़कर अपने क्षेत्राधिकार में.	60 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	विकास आयुक्त
16.8	ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा-पत्र	सचिव, ग्राम पंचायत (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.